

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

फैक्स/ई-मेल

आदेश

संख्या-3/टी0-01-12/2017- /स्वा0, डा0 जनार्दन प्रसाद, जिला  
वेक्टर बौर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी, औरंगाबाद-सह-प्रभारी सिविल सर्जन, औरंगाबाद को बिहार  
कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद का  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह  
व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0 / -  
(जगदीश कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/टी0-01-12/2017- 762 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक 28/12/2017

**प्रतिलिपि:** महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय  
(प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार,  
पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त  
मगध प्रमंडल, गया/जिलाधिकारी, औरंगाबाद/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल, गया/डा0  
जनार्दन प्रसाद, जिला वेक्टर बौर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी, औरंगाबाद/ कोषागार पदाधिकारी,  
औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि:** माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी  
सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,7,8,9,10 एवं 12/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग,  
बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी  
संभव